न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

2

1. प्यारेलाल
2. मुंशी
3. गोपाल } पिसरान प्रभु
4. मुकेश
5. शैलेष
6. दिनेश
7. राजेश
8. राकेश
9. बृजेश } पिसरान नत्थू
10. मुन्नो देवी पत्नि नत्थू

} समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रावताडा (गुढाचंद्रजी), तहसील नादौती जिला करौली

11. राकेश पुत्र गिर्राज
12. नाहरसिंह
13. हरिसिंह } पिसरान गिर्राज, नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता मोहरबाई पत्नि गिर्राज
14. मोहरबाई पत्नि गिर्राज

जातियान मीना निवासीयान रावताडा (गुढाचंद्रजी) तहसील नादौती – प्रार्थीगण

बनाम

1. बनैसिंह
2. बाबूलाल
3. भरोसी
4. हरिसिंह } पिसरान गुट्टीराम
5. गजेन्द्र
6. वीरेन्द्र } पिसरान बनैसिंह
7. राजेन्द्र
8. सुरेन्द्र } पिसरान भरोसी

} समस्त जाति गुर्जर, निवासी बाढकैमरी हालवासी माचडी मोड, पैट्रोल पम्प के पास, गुढाचंद्रजी, तहसील नादौती जिला करौली

9. धर्मसिंह
10. हरेती
11. बहादुर
12. भगोती
13. प्रहलाद } पिसरान मदन मीना, निवासी रावताडा, तहसील नादौती जिला करौली
14. उपखण्ड अधिकारी, नादौती

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 व दफा 151 जाप्ता दीवानी एवं 235 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र, वकील प्रार्थीगण द्वारा अंतर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट पेश किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में दावा संख्या 63/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 48/2020 उनवानी प्यारेलाल वगै. बनाम बनैसिंह वगै. विचाराधीन है जिनमें वादीगण को न्याय की उम्मीद नहीं होने की आशंका के कारण अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय टिप्पणी तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। (3)

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया है कि दावा उनवानी प्यारेलाल वगै. बनाम बनैसिंह वर्ग. मु.नं. 63/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 48/2020 न्यायालय एस.डी.ओ. साहब नादौती के यहां विचाराधीन है जिनमें आगामी तारीख पेशी 29.01.2021 नियत है। वादीगण/सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय एसडीओ साहब नादौती द्वारा स्वीकार कर दिनांक 13.10.2020 को प्रतिवादीगण /गैरसायलान को जरिये एडइन्ट्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है। गैर सायलान ने दिनांक 12.01.2021 को मौके पर उक्त आराजी पर आकर जबरन स्टे के विरुद्ध स्टे की अवमानना करते हुए ट्रैक्टर से जोतने का प्रयास किया। प्रार्थीगण ने मना किया तो गैरसायलान रामभरोसी, बाबूलाल, बनैसिंह, हरीसिंह, वीरेन्द्र, गजेन्द्र व राजेश ने प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार से झगडा किया व मारपीट की जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना–नादौती पर दर्ज करवा दी है जिसकी एफआईआर नं. 18/2021 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 354, 379, 447, 504 आईपीसी है। प्रतिवादीगण/गैरसायलान हमेशा जब तारीख पेशी पर आते हैं एवं आये दिन एसडीओ साहब नादौती के चैम्बर में बैठते हैं जहां एसडीओ साहब उनका चाय–पानी से भावभीना स्वागत करते हैं तथा उनसे घण्टों तक बातें करते हैं। एसडीओ साहब नादौती के उक्त व्यवहार से यह स्पष्ट है कि एसडीओ साहब नादौती प्रतिवादीगण/गैरसायलान से मिल गये हैं एवं उक्त मुकदमे का निर्णय उनके पक्ष में करने पर आमादा हैं, जबकि प्रार्थीगण/वादीगण का मुकदमा दस्तावेजी रिकॉर्ड व कानून से बखूबी साबित है। गैरसायलान गांव में घूम–घूमकर लोगों से यह कहते हैं कि हमारी एसडीओ साहब से बात हो गई है, मुकदमे का फैसला हमारे पक्ष में होगा। प्रतिवादीगण ने एसडीओ साहब के समक्ष दिनांक 13.01.2021 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन भी पेश किया है उससे भी इनकी मिलीभगत का पता चलता है। प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 दूर–दराज में एसडीओ साहब के रिश्तेदार भी हैं एवं उनके समाज के हैं जिसके कारण एसडीओ साहब नादौती का झुकाव उनकी ओर स्पष्ट नजर आता है। पूर्व में भी एसडीओ साहब नादौती ने एसएचओ नादौती द्वारा प्रस्तुत 145 जा.फौ. के मुकदमे को भी प्रतिवादीगण का पक्ष लेते हुए खारिज फरमा दिया था। एसडीओ साहब का झुकाव पूरी तरह प्रतिवादीगण/गैरसायलान की ओर स्पष्ट रूप से नजर आता है इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण को एसडीओ साहब नादौती से न्याय प्राप्ति की उम्मीद नहीं है। पूर्व में भी प्रार्थीगण इस बाबत् श्रीमान् को शिकायत कर चुके हैं। प्रतिवादीगण/गैरसायलान मिन गरीब वादीगण/सायलान की आराजीयात् को जबरन फर्जी दस्तावेज तैयार कर लट्ठ व ताकत के बल पर छीनना चाहते हैं जिसमें प्रशासन की ओर से कुछ अधिकारी व कर्मचारी जातिगत आधार पर उनकी मदद कर रहे हैं। यदि उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरण नहीं किया गया तो वादीगण के साथ घोर अन्याय होगा। यदि उक्त प्रकरण का निस्तारण एसडीओ साहब नादौती द्वारा किया गया तो वादीगण के साथ घोर अन्याय होने की प्रबल संभावना है। एसडीओ साहब प्रतिवादीगण/गैरसायलान के दबाब में आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब का वादीगण के विपरीत रुख रखना स्वाभाविक है तथा उन पर दबाब आने की प्रबल स्थिति बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.10.2020 को पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को अपने चैम्बर में बिठाये जाने एवं अप्रार्थीगण को चाय–नाश्ता कराने एवं उनकी आवभगत करने के संबंध में दिनांक 16.10.2020 को शिकायत किये जाने संबंधी दस्तावेज पेश किया है। विवादित

जिला कलक्टर
करौली

जमीन को खातेदार जगदीश के तथाकथित भाई रामेश्वर के द्वारा बेचान किया गया है जो ab initio null and void है। इसलिये न्यायहित में उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में ट्रांस्फर किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 व 2 जिस तौर पर दर्ज हैं, सही हैं, स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 ता 5 जिस तौर पर दर्ज हैं, गलत हैं, स्वीकार नहीं हैं। दिनांक 12.01.2021 को कोर्ट स्टे आदेश की अवमानना अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है और ना ही कोई झगड़ा अप्रार्थीयान ने प्रार्थीयान से किया है। प्रार्थीयान ने गलत रिपोर्ट थाना नादौती में की है और गलत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए यह आवेदन पेश किया है। अप्रार्थीयान का कब्जा काश्त खातेदारी दायरी दावा व दरख्वास्त 212 आर.टी.एक्ट से पूर्व से हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान वेग व निराधार है। चलने योग्य नहीं है। मद संख्या 4 में प्रार्थीयान द्वारा सारे तथ्य मनगढन्त वेग व निराधार झूंठे दर्ज किये हैं। अप्रार्थीयान कभी भी तारीख पेशी पर आने पर न्यायालय एसडीओ नादौती के चैम्बर में नहीं बैठे हैं ना अप्रार्थीयान का एसडीओ साहब द्वारा चायपानी से कभी स्वागत किया है ना कभी कोई बात की है। एसडीओ नादौती का अप्रार्थीयान से मिल गये होने वाली बात सरासर गलत दर्ज की जो न्यायालय हाजा को प्रीज्यूडिस करने की नीयत से दर्ज की है। मुकदमे का एसडीओ नादौती द्वारा अप्रार्थीयान के पक्ष में मुकदमे का निर्णय करने वाली बात गलत दर्ज की है। निर्णय बाद सुनवाई गुणावगुण पर किया जाता है। प्रकरण अभी सुनवाई में है। अप्रार्थीयान द्वारा गांव में घूम–घूम कर लोगों से एसडीओ से बात होने व मुकदमा अप्रार्थीयान के पक्ष में होगा, यह बात प्रार्थीयान ने असत्य दर्ज की है। कोई व्यक्ति का नाम भी प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है जिससे अप्रार्थीयान ने यह कही। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीयान ने यह तथ्य असत्य दर्ज किया है। दिनांक 13.01.2021 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया है जिसका प्रार्थीयान को विधिक अधिकार है। अप्रार्थीयान के एसडीओ नादौती रिश्तेदार नहीं है ना कोई झुकाव एसडीओ का अप्रार्थीयान के पक्ष में है। धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही मूल वाद के विचाराधीन रहते नहीं की जा सकती है, विधि का सिद्धान्त है। धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही सही खारिज की गई है जिससे कोई झुकाव अप्रार्थीयान के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीयान ने प्रकरण को देरीना करने को यह आवेदन पेश किया है। कोई फर्जी दस्तावेज अप्रार्थीयान ने तैयार नहीं किये हैं। दस्तावेज वैध विधिवत हैं। अप्रार्थीयान के भूमि को लट्ठ व ताकत के बल पर छीनने वाली गलत दर्ज की है। प्रशासन की ओर से जातिगत कोई मदद नहीं की जा रही है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरण करने का कोई आधार पत्रावली में प्रार्थीयान ने प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीयान के साथ कोई घोर अन्याय नहीं हुआ है, ना कोई संभावना है। एसडीओ नादौती अप्रार्थीयान के दबाब में नहीं है। ना ही प्रार्थीयान के विरुद्ध रुख है। एसडीओ नादौती पर दबाब आने की कोई संभावना किसी प्रकार की नहीं है। प्रार्थीयान ने यह आवेदन प्रकरण को देरीना करने की नीयत से पेश किया है। स्वयं प्रार्थीयान को अप्रार्थीयान के विरुद्ध एसडीओ नादौती से प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय विधिविरुद्ध प्राप्त की हुई है। इस कारण एसडीओ नादौती पर झूंठे व असत्य निराधार आरोप लगाकर यह आवेदन पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। कोर्ट के स्टे आदेश की अवमानना के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अवमानना का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज फरमाने का कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी, नादौती ने पत्र द्वारा अवगत करवाया है कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 व स्वीकार हैं एवं 3 व 4 पूर्णरूपेण निराधार है। मद संख्या 5 में

जिला कलक्टर
करौली

आरोप निराधार हैं। पत्रावली दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब में विचाराधीन है। आरोपकर्ता के सभी तथ्य निराधार हैं परंतु अगर वादी प्यारेलाल को इस न्यायालय की कार्यवाही पर आशंका है तो इस पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाना ही न्यायोचित रहेगा।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थीगण स्वयं ने प्रकरण में यह तथ्य अंकित किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में विचाराधीन जैर प्रार्थना पत्र वादों में प्रार्थीगण को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश मिला हुआ है। उक्त स्थगन भी वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा ही प्रार्थीगण के हक में दिनांक 13.10.2020 को जारी किया हुआ है। इससे यह विदित होता है कि यदि पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण को अपने चैम्बर में बिठाकर रखता, उन्हें चाय–नाश्ता करवाता या उनकी आवभगत करता तो वह प्रार्थीगण के हक में अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त स्थगन आदेश जारी नहीं करता। उक्त स्थगन आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा अवमानना किये जाने का आरोप अंकित किया गया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अवमानना प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में कोई भी ऐसा ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण से मिले हुए हैं। इससे यह प्रार्थना पत्र निराधार, बेबुनियाद व झूंठा प्रतीत होता है जिसे खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिली को खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान दिनांक 19.04.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली